छत्तीसगढ़ मंत्रपिरिषिद की बैठक में लिये गए महत्त्वपूर्ण निर्णय

चर्चा में क्यों?

12 जुलाई, 2023 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रपिरिषिद की बैठक में कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए।

प्रमुख बिंदु

- मंत्रपिरिषिद ने प्रथम अनुपूरक अनुमान वर्ष 2023-24 का उपस्थापन बावत छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया।
- छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न वर्गों के लिये उद्योग स्थापना हेतु विभिन्न प्रकार की छूट, अनुदान एवं रियायतें घोषित की गई है।
- राज्य में वृहद, मेगा, अल्ट्रा मेगा उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिये औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत 'विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज क्रियान्वयन नियम-2019' को समावेशित करने का निर्णय लिया गया।
- छत्तीसगढ़ राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये औद्योगिक नीति 2019-24 में व्हीकल स्क्रेपिंग पॉलिसी को शामिल करने के साथ ही स्टॉम्प शुल्क से छूट, मंडी शुल्क से छूट, राज्य में बंद एवं बीमार उद्योगों के लिये विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज, परिवहन अनुदान, विद्युत शुल्क छूट संबंधित संशोधनों के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

//

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/important-decisions-taken-in-the-meeting-of-chhattisgarh-council-of-ministers-1